तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** उपस्थित :– श्री एम.एल.गुर्जर, अभिभाषक अपीलार्थी श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हरिवल्लभ जिनका स्वर्गवास हो चुका है, रेस्पोडेंट वादी सं.1 व 8 जिसके विधिक वारिसान ने एक राजस्व वाद दुरूस्ती इंद्राजात व घोषणा खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भैंसखेडा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा एवं मौजा कोसाली में स्थित आराजी खसरा नंबर 196 रकबा 6 बिस्वा वादी के कब्जे व खातेदारी की आराजियात है। वादी के पितामाह भैरूलाल की मृत्यु के बाद वादी आराजी मुतनाजा पर बतौर वारिस काबिज चला आ रहा है। भैरूलाल की कोई संतान नहीं थी। बज्या पिता प्रतिवादीगण भैरू मृतक का पुत्र नहीं था। प्रतिवादी सं.1 से 3 ने दिनांक 17–10–77 को एक नामांतरकरण सं. 63 बाबत् खसरा नंबर 53 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। अतः वाद डिक्री कर विवादित नामांतरकरणों को निरस्त किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुन वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 28–7–90 से अपील स्वीकार कर प्रकरण को वास्ते पुनः सुनवाई परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। प्रकरण परीक्षण न्यायालय में रिमाण्ड होने पर प्रतिवादी की ओर से काउंटर क्लेम पेश किया और कहा कि भैरू द्वारा हमारे पिता बजरंगलाल को गोद लिया गया। भैरू के गोद पुत्र होने से हमारे पिता को भैरू की खातेदारी की आराजी मिली और हमारा इस पर कब्जाकाश्त है। वादीगण का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अतः काउंटर क्लेम डिक्री किया जाकर वादीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–10–02 से वादी का वाद खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–06 द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वादीगण का विवादित आराजी से कोई लेनादेना नहीं है। दस्तावेज एक्जी. 5 जो कि जयपुर स्टेट का है और इसमें भैरूलाल द्वारा बजरंगलाल को दत्तक पुत्र स्वीकार किया गया है तथा बजरंगलाल के हक में अंकन इसी आधार पर आये है। वादगस्त आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में उनका वाद चलने योग्य नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने समस्त दस्तावेजात का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण एवं आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद निरस्त कर काउंटर क्लेम डिक्री किया था। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट ने अपीलीय न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की थी जबकि उसे दो अपीले पेश करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय गलत निरस्त किया है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि ग्राम भैंसखेडा में स्थित वादग्रस्त भूमि एवं मौजा कोसाली में स्थित आराजी वादी के कब्जे व खातेदारी की आराजियात है। वादी के पितामाह भैरूलाल की मृत्यु के बाद वादी आराजी मुतनाजा पर बतौर वारिस काबिज चला आ रहा है। भैरूलाल की कोई संतान नहीं थी। बजरंगलाल पिता प्रतिवादीगण भैरू मृतक का पुत्र नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का काउंटर क्लेम गलत स्वीकार किया है तथा वादीगण रेस्पोडेंट का वाद गलत खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई देने वाली विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। परीक्षण न्यायालय ने वादी का पूर्व वाद इस आधार पर खारिज किया गया था कि वकील वादी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे वादी का कब्जा होना पाया जाता हो। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय ने निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड की। प्रतिवादीगण के पिता मृतक भैरू का दत्तक पुत्र था। वादी की ओर से दिनांक 14–10–99 को प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार प्रतिवादीगण के पिता बज्जा वादी के पितामह के भांजे थे जो मामाओं के पास रहने आये थे। उपजिला कलेक्टर ने प्रस्तुत दस्तावेजात व राजस्व रिकोर्ड का सम्पूर्ण विववेचन व विश्लेषण करते हुये वादी का वाद खारिज करते हुये प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को खारिज करने का मुख्य आधार प्रतिवादी बजरंगा को भैंरू का दत्तक पुत्र साबित नही कराया जाना मानते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा काउंटर क्लेम का वाद स्वीकार करने को उचित नहीं माना है तथा रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया है। हमारी सुविचारित राय में रेस्पोडेंट वादी को अपीलीय न्यायालय में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रथम तो परीक्षण न्यायालय द्वारा उसका वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती इंद्राजात व घोषणा स्वत्व का वाद खारिज करने के विरूद्ध तथा द्वितीय प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम वाद डिक्री किये जाने के विरूद्ध। किंतु परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में दो अपीलें प्रस्तुत करने के बजाय एक ही अपील प्रस्तुत किये जाने को विधिक रूपसे उचित नहीं कहा जा सकता, भले ही उपजिला कलेक्टर का एक ही निर्णय हो। राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदी व गिरदावरी के आधार पर प्रतिवादीगण का लम्बी अवधि से खातेदारी व कब्जा होना प्रमाणित होता है। जबकि 3 वर्ष की मियाद बाहर होने व कब्जेकाश्त के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य ही नहीं था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परीक्षण न्यायालय द्वारा दावे एंव जवाबदावे/ काउंटर क्लेम वाद के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त सबंधित राजस्व रिकोर्ड एवं दस्तावेजात का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये रेस्पोडेंट वादीगण का दुरूस्ती इंद्राजात व घोषणा स्वत्व का वाद खारिज किया है तथा अपीलांट का काउंटर क्लेम वाद स्वीकार करते हुये डिक्री किया है। किंतु अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुये बिना विधिसंगत आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–06 निरस्त किया जाता है तथा परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–10–02 यथावत रखा जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार की जाकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (रामनिवास जाट) (मनोज कुमार नाग) सदस्य सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

		हुक्म की जारी में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए